



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1948 (श10)

(सं0 पटना 1133) पटना शुक्रवार 18 सितम्बर 2026

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

31 अगस्त 2026

सं० 4/म०स०का०का०गठन-01/11(पार्ट-1) 496—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-382 दिनांक-18.11.2016 के कंडिका-2 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों के मनोनयन से संबंधित अधिसूचना सं०-408 दिनांक-16.03.2024 सहपठित शुद्धि पत्र सं०-409 एवं 409 'क' दिनांक-16.03.2024 तथा शुद्धि पत्र सं०-564 दिनांक-16.07.2024 तथा समेकित एवं संशोधित अधिसूचना संख्या-303, दिनांक-22.05.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व में मनोनीत सदस्यों के अतिरिक्त तीन निम्नलिखित महानुभावों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है:-

क्रम सं०	पदधारक का विवरण	पद
1.	श्री आलोक कुमार सिंह, सं०वि०स०	सदस्य
2.	श्री अनिल कुमार, पूर्व मंत्री	सदस्य
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र विवेक, पिता-स्व० केदार प्रसाद सिंह	सदस्य

2. उक्त सदस्यों को राज्य के उप मंत्री का दर्जा दिया जाता है। उपरोक्त में से बिहार विधान मंडल के सदस्य, बिहार विधान मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ता एवं सुविधाएँ पूर्ववत् लेते रहेंगे एवं इस दर्जा को मिलने के कारण इससे इतर जो सुविधाएँ होंगी वह सरकार से प्राप्त करेंगे।

3. विभागीय संकल्प सं०-382 दिनांक 18.11.2016 के आलोक में समिति के मनोनीत/नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1133-571+100-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>